

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर के न्यायालय में ।

R 593-1 प्रकरण क्रमांक

मूलचंद पिता चंपालाल
निवासी-भरावदा, तहसील सरदारपुर,
जिला-धार (म०प्र०) ।

विरुद्ध

वकील गोविंद शर्मा प्रार्थी,
द्वारा आब दि० 26/05/08 को प्रस्तुत ।
अवर सचिव 26-5-08
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर


- 1- सजनबाई बेवा चंपालाल ✓
- 2- धुलजी पिता चंपालाल
- 3- शातिलाल पिता चंपालाल
- 4- कन्हैयालाल पिता चंपालाल ✓
- 5- रामचंद्र पिता चंपालाल ✓
सभी निवासीगण-भरावदा, तहसील सरदारपुर,
जिला-धार (म०प्र०) ।
- 6- सविताबाई पिता चंपालाल
- 7- राजूबाई पिता चंपालाल
निवासी-ग्राम बोरदा, तहसील व जिला-धार
- 8- गणीबाई पिता चंपालाल
निवासी-ग्राम छटिया,
तहसील व जिला-धार (म०प्र०) ।

प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/अपील/06-07 में दिनांक 15-05-2008 को पारित आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :-

(Signature)




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 593-एक/08

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रकों आदि के हस्ताक्षर
8.3.2017	<p>आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण आवेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>